सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 822 राँची, शुक्रवार, 12 कार्तिक, 1938 (श०)

3 नवम्बर, 2017 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

20 जुलाई, 2017

विषय:- राज्य में मुख्यमंत्री दाल-भात योजना के संचालन हेतु मेसर्स टचस्टोन फाउण्डेशन को झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत कार्य हित में मनोनयन करने तथा इसका नाम परिवर्तित करके मुख्यमंत्री कैंटीन योजना रखने एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल राशि 14,93,66,608.00/- (चैदह करोड़ तेरानवे लाख छियासठ हजार छः सौ आठ रूपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या:- खा. 02/दा.भा.यो.-02/2017 – 3150-- राज्य में गरीब व्यक्तियों को एक समय का भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दाल-भात योजना चलाई जा रही है । राज्य में शहरी/नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर कुल स्वीकृत 375 दाल-भात केन्द्रों में मात्र 5.00 रूपये में दाल-भात के साथ चना/सोयाबीन बड़ी की सब्जी दी जाती है । यह केन्द्र शहर के भीड़-भाड़ के क्षेत्रों यथा अस्पताल, बस स्टैण्ड, बाजार, इत्यादि तथा प्रत्येक प्रखण्ड मुख्यालय में स्वयं सहायता समुहों के माध्यम से संचालित हैं ।

2. प्रति केन्द्र शहरी क्षेत्र के मुख्यमंत्री दाल-भात केन्द्रों में 400 व्यक्तियों को, नगर पंचायत के अधीन पड़ने वाले केन्द्रों में 300 व्यक्तियों एवं ग्रामीण क्षेत्र में पड़ने वाले केन्द्रों में 200 व्यक्तियों को प्रति दिन 200 ग्राम चावल का भात एवं दाल तथा सब्जी खिलाया जाता है । इसके अतिरिक्त रात्रि केन्द्रों में 200 व्यक्तियों को खाना खिलाया जाता है ।

3. योजना की गुणवत्ता एवं इसकी उपयोगिता बढ़ाने हेतु समय-समय पर कतिपय सुधार लागू किये गये हैं । फिर भी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता एवं स्वच्छता में सुधार की आवश्यता है । इस परिपेक्ष्य में मुख्यमंत्री दाल-भात योजनान्तर्गत लाभुकों को समय पर स्वच्छ वातावरण में स्वास्थ्यकर और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने एवं योजनान्तर्गत दाल-भात केन्द्रों को सुदृढ़ तथा विकसित करने के उद्देश्य से योजना में व्यापक परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है ।

4. राज्य में संचालित दाल-भात योजना का संचालन किसी प्रतिष्ठित एजेन्सी/ एन॰जी॰ओ॰ द्वारा कराने का निर्णय लिया गया है । इस कार्य हेतु टचस्टोन फाउण्डेशन को नामित किया जाता है ।

5. सर्वप्रथम पूर्व से संचालित सरकारी भूमि पर अवस्थित दाल-भात केन्द्रों का नवीकरण/पुर्ननिर्माण कर इन केन्द्रों को वितरण केन्द्र में परिणत करने तथा प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक बेस किचन की स्थापना किया जाना है । जिन स्थानों पर दाल-भात केन्द्रों का निर्माण नहीं हो सकता, वहाँ मोबाईल वैन द्वारा भोजन का वितरण किया जायेगा ।

6. बेस किचन ही जिला का केन्द्रीय किचन होगा । बेस किचन से जिला के सभी वितरण केन्द्रों एवं मोबाईल किचन केन्द्रों पर भोजन उपलब्ध कराया जायेगा एवं इन वितरण केन्द्रों से लाभुकों को e-PoS मशीन के माध्यम से भोजन वितरण किया जायेगा ।

7. नामित टचस्टोन फाउण्डेशन को स्वास्थकर खाना बनाने, वितरण केन्द्र तक पहुँचाने तथा वितरण केन्द्रों पर लाभुकों को खिलाने की जिम्मेवारी होगी । इस योजनान्तर्गत भोजन को दाल-भात तक सीमित नहीं रखते हुए मेन्यू में आवश्यकतानुसार विविधता लाया गया है तथा इसके मद्देनजर योजना का नाम मुख्यमंत्री कैंटीन योजना किया जाता है ।

8. प्रथम चरण में पॉयलट बेसिस पर इसे राँची जिला में संचालित करने का प्रस्ताव है । राँची जिला में योजना के संचालन हेतु एक बेस किचन-सह-वितरण केन्द्र और 18 वितरण केन्द्र का निमार्ण एवं 10 मोबाईल वैन की आवश्यकता होगी । प्रणाली की सफलता के पश्चात् अन्य जिलों में इसे विस्तारित किया जायेगा ।

9. बेस किचन के लिए हेहल बस स्टैण्ड के सामने जहाँ वर्तमान में दाल-भात केन्द्र संचालित है, की भूमि का चयन किया गया है । यह भूमि श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड की है । विभाग द्वारा इस भूमि के उपयोग हेतु श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड से अनापित्त प्रमाण पत्र प्राप्त की जायेगी ।

शेष स्थानों पर जहाँ वर्तमान में सरकारी भूमि पर दाल-भात केन्द्र संचालित है, वह भवन अस्थायी संरचना के निर्माण हेतु प्रस्तावित है । आवश्यकता के आलोक में संबंधित विभाग/कार्यालयों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा ।

10. राँची जिला के लिए एक बेस किचन एवं 18 वितरण केन्द्र के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि लगभग कुल रूपये 10,01,66,608.00/- (दस करोड़ एक लाख छियासठ हजार छः सौ आठ रूपये) का प्रस्ताव स्वीकृत है । आवश्यकता अनुसार मोबाईल वैन को विभाग द्वारा क्रय कर उपलब्ध कराया जायेगा । वाहन का क्रय DGS&D दरों पर (यदि उपलब्ध हो)/निविदा तथा वाहनों का विरचना (Fabrication) निविदा के माध्यम से किया जायेगा। प्रति वाहन के क्रय में 4 लाख एवं विरचना पर 2.5 लाख रूपये व्यय संभावित है । 10 वाहनों में से 8 वाहन का क्रय किया जा चुका है । 2 वाहनों का क्रय एवं 10 वाहनों कि विरचना (Fabrication) पर कुल राशि 33,00,000/- (तैतीस लाख रूपये) व्यय होने की सम्भावना है । इसके अतिरिक्त भोजन पर रूपये 15.00/- प्रति प्लेट की अनुदानित दर से राज्य सरकार को वहन करना है ।

11. भोजन में दाल-भात, सब्जी, अचार एवं गर्मी में छाछ खिलाने का निर्णय है ।

एक प्लेट भोजन का दर - 20.00 रूपये ।
लाभुकों के लिए - 05.00 रूपये ।
राज्य सरकार द्वारा अनुदानित दर - 15.00 रूपये

12. राँची जिला में प्रतिदिन भोजन पर व्यय निम्न प्रकार से किया जायेगा:-

क्रमांक	क्षेत्र	केन्द्रों की संख्या	लाभुकों की संख्या	कुल लाभुकों की संख्या	भोजन पर व्यय @Rs. 15.00/-
1	शहरी	11+2 रात्रि केन्द्र	400 + 200 रात्रि केन्द्रों के लिए	4400+400	66000+6000 =72000
2	नगर पंचायत	1	300	300	4500
3	ग्रामीण	17	200	3400	51000
कुल		**29**	**900**	**8100**	**127500**

इस प्रकार राँची जिला के लिए लाभुकों के भोजन पर प्रतिदिन कुल राशि रूपये 1,27,500 (रूपये एक लाख सताईस हजार पाँच सौ), प्रतिमाह कुल राशि रूपये 38,25,000 (रूपये अड़तीस लाख पच्चीस हजार) मात्र एवं प्रतिवर्ष कुल राशि रूपये 4,59,00,000/- (रूपये चार करोड़ उन्नसठ लाख) मात्र व्यय होने की संभावना है । टचस्टोन फाउण्डेशन द्वारा प्रतिमाह वास्तविक लाभुकों के आधार पर ही विपत्र उपलब्ध कराया जायेगा । विपत्र उपलब्ध कराने के पश्चात् विभाग द्वारा जाँचोपरान्त व्यय राशि का भुगतान उक्त फाउण्डेशन को किया जायेगा ।

13. इस प्रकार राँची जिला के लिए एक बेस-सह-वितरण केन्द्र एवं 18 वितरण केन्द्र के निर्माण में 10,01,66,608.00/- (दस करोड़ एक लाख छियासठ हजार छः सौ आठ रूपये), मोबाईल वैन पर 33,00,000.00/- (तैतीस लाख रूपये) एवं भोजन पर प्रति वर्ष 4,59,00,000.00/- (रूपये चार करोड़ उन्नसठ लाख), अर्थात कुल राशि 14,93,66,608.00/- (चैदह करोड़ तेरानवे लाख छियासठ हजार छः सौ आठ रूपये) व्यय किया जाना है । योजना के अन्तर्गत होने वाले व्यय को यथा नियम, यथा प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी ।

14. e-PoS मशीन के अधिष्ठापन में होनेवाला व्यय एवं मोबाईल वैन के संचालन (चालक की मजदूरी, ईंधन एवं वैन की मरम्मति आदि) पर होने वाले व्यय का वहन टचस्टोन फाउण्डेशन द्वारा किया जायेगा । मोबाईल वैन के रख-रखाव की संपूर्ण जिम्मेवारी उक्त फाउण्डेशन द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

15. भोजन की गुणवत्ता एवं स्वच्छता का समुचित प्रबंध नामित फाउण्डेशन द्वारा किया जायेगा। इसकी सारी जवाबदेही उक्त फाउण्डेशन द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

16. योजना के सफल संचालन हेतु अनुश्रवण समिति गठित की जायेगी, जिसके अध्यक्ष संबंधित जिला के उपायुक्त एवं सदस्य सचिव जिला आपूर्ति पदाधिकारी होगें । इस समिति के सदस्य सिविल सर्जन, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी होगें । योजना के क्रियान्वयन के प्रभावी Monitoring विभाग के स्तर से भी की जायेगी ।

17. इस योजना से लाभुकों के जीवन स्तर पर पड़नेवाले प्रभाव का मूल्यांकन भी थर्ड पार्टी से कराया जायेगा ।

18. राशि की निकासी बजट शीर्ष 3456-सिविल पूर्ति/उपशीर्ष-23-मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के अंतर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगा ।

19. उपरोक्त के आलोक में मेसर्स टचस्टोन फाउण्डेशन, अक्षय पात्रा कैम्पस, ओल्ड डेयरी भवन, सेक्टर-6, भिलाई-49006, (छत्तीसगढ़) को झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत कार्य हित में मनोनयन के आधार पर इस योजना का कार्य आवंटित किया जाता है साथ ही मुख्यमंत्री दाल-भात योजना के नाम को परिवर्तित करके ''मुख्यमंत्री कैंटीन योजना'' की जाती है । वित्तीय वर्ष 2017-18 में इसके संचालन हेतु कुल व्यय राशि 14,93,66,608.00/- (चैदह करोड़ तेरानवे लाख छियासठ हजार छः सौ आठ रूपये) के भुगतान की स्वीकृति दी जाती है ।

20. उक्त से संबंधित विभागीय संलेख संख्या 3070 दिनांक 17 जुलाई, 2017 पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 18 जुलाई, 2017 की बैठक की मद संख्या- 21 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 822--100